



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052023-245889  
CG-DL-E-16052023-245889

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2090]  
No. 2090]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2023/वैशाख 26, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2023/VAISAKHA 26, 1945

उपराष्ट्रपति सचिवालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

का.आ. 2183(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में 20 दिसंबर 2021, प्रकाशित दिनांक 20 दिसंबर 2021 की अधिसूचना का.आ. 5310 (इ) के आंशिक संशोधन के क्रम में भारत के उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कुलाधिपति की हैसियत से 31 अक्तूबर 2024 तक की शेष अवधि के लिए पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट गठित करने के प्रयोजन से पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (i) के खंड (1) में उल्लिखित श्रेणियों के अधीन, पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट के सामान्य अध्येता के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों के निर्वाचन का अनुमोदन किया है :

धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत

1.	सरदार अमृतपाल सिंह सुखानंद, एम.एल.ए, मकान. सं. 243, गाँव- सुखा नंद, तहसील - बाघा पुराना, जिला - मोगा - 142049
2.	सरदार रणवीर सिंह भुल्लर, एम.एल.ए, मकान. सं. 7-ए, कनाल कॉलोनी, गांव- पीरन वाला, तहसील एवं जिला फिरोजपुर - 152001

2. इन सामान्य अध्येताओं का कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2024 तक रहेगा।

[फा. सं. वीपीएस-15/02/एस 3/20 (पार्ट. II)]

सुनील कुमार गुप्ता, सचिव, भारत के उपराष्ट्रपति  
व कुलाधिपति, पंजाब विश्वविद्यालय

## VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2023

**S.O. 2183(E).**—In partial modification of the Notification S.O. 5310 (E) dated 20<sup>th</sup> December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 20<sup>th</sup> December, 2021 for the purpose of constituting the Senate of the Panjab University for the residual period of term until 31<sup>st</sup> October, 2024, the Vice President of India in his capacity as the Chancellor of the Panjab University, Chandigarh has approved the election of the following persons, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Panjab University Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) as Ordinary Fellows to the Senate of Panjab University under the category enumerated in clause (i) of sub-section (1) of section 13 of the said Act:

#### Under clause (i) of sub-section (1) of section 13

1.	Sardar Amritpal Singh Sukhanand, MLA, H. No. 243, Village Sukha Nand, Tehsil Bagha Purana, District Moga-142049
2.	Sardar Ranbir Singh Bhullar, MLA, H. No. 7-A, Canal Colony, Village Peeranwala, Tehsil & District Ferozepur-152001

2. The term of these Ordinary Fellows shall be until 31<sup>st</sup> October 2024.

[F. No. VPS-15/02/S3/20 (Pt.II)]

SUNIL KUMAR GUPTA, Secy. to Vice-President of India  
& Chancellor of the Panjab University